न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित तारा चन्द मीणा आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 02/**2020** अपील (राजस्व)

मैसर्स लेकसिटी ग्रेनी मार्मो प्राइवेट लिमिटेड कार्यालयः 82–83 न्यू बापू बाजार, द्वितीय फ्लोर, उदयपुर जरिये गीता मीणा पत्नी तेजराम मीणा निवासी–अम्बेरी, तहसील–बड़गांव जिला– उदयपुर (राज.)

—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान इण्डस्ट्रीज एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेउ जरिये क्षेत्रीय प्रबंधक, मादडी इंडस्ट्रीयल एरिया, रोड नं. 2, उदयपुर (राज.)

—— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसलीदार गिर्वा, म्यूटेशन संख्या 1476 तारीख फैसल 18.07.2011 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956

उपस्थित : श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः–31.01.2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील_अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 तहसीलदार गिर्वा के_म्यूटेशन संख्या 1476 तारीख फैसल 18.07.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा अम्बेरी तहसील बडगांव में खाता संख्या 445 में स्थित आराजी संख्या 1319 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1321 मी. रकबा 0.2480 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1322 रकबा 0.0800 हैकटेयर, आराजी संख्या 1323 मी. रकबा 0.1200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1348 मी. रकबा 0.0250 हैक्टेयर कुल किता 5 रकबा 0.5530 हैक्टेयर भूमि स्थित है। यह भूमि कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एस.डी.ओ गिर्वा उदयपुर द्वारा अवार्ड संख्या 16 तहसील आदेश क्रमांक/राजस्व द्वारा अवाप्ति के आदेश की पालना में कथित भूमि को अपीलाण्ट के बजाय रिको के नाम खातेदारी रूप में दर्ज करने के संबंध में म्यूटेशन भरकर पेश किया गया जबकि कथित अवाप्ति आदेश को अपीलाण्ट द्वारा सन् 2007

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:16:24 IST
Reason: SelfAttested

में चैलेन्ज किया गया उसके रिट नंबर 7243/2006 है तथा उस रिट में लैण्ड एक्वीजीशन ऑफिसर को भी पक्षकार बनाया गया तथा उसमें दिनांक 16.03.2007 को रिट संख्या 1044/2007 में स्थगन आदेश जारी किया गया तथा उसमें स्थगन आदेश की दियागया। जो स्थगन आदेश आज दिन तक जारी है तथाकथित स्थगन आदेश होते हुए भी दौराने स्थगन आदेश म्यूटेशन भरकर कथित जमीन को अपीलाण्ट के बजाय रिको को खातेदार भरकर म्यूटेशन स्वीकृत करने का आदेश दिया यह आदेश बिना अधिकार के होकर वोइड है। अपीलाण्ट की अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 व 6 के तहत की गई कार्यवाही को राजस्थान उच्च न्यायालय में चैलेन्ज कर रखा है तथा यह चैलेन्ज रिट के द्वारा सन् 2007 में ही कर रखा है जिसके एस.बी.सिविल रिट पीटीशन नंबर 1044/2007 है तथा ऐसी स्थिति में रिट पेण्डिंग होते हुए रिको के नाम म्यूटेशन नहीं भरा जा सकता है। इस कारण जो कार्यवाही म्यूटेशन की गई वह बिना अधिकार के होकर काबिल निरस्त के है। इस मामले में दिनांक 16.03.2007 से ही स्टे दे रखा है तथा आज भी वह स्थगन आदेश लागू है तथा रिट आज भी पेण्डिंग है। परन्तू अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर विचार किए बिना जो आदेश पारित किया वह बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त के है। म्यूटेशन पर कब्जा देखा जाना मेन्डेट्री है तथा इस मामले में रिको द्वारा अपीलाण्ट से आज दिन तक उक्त भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है तथा उक्त भूमि का अपीलाण्ट आज दिन तक उपयोग व उपभोग कर रहा है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में रिको का कब्जा होना कही नहीं लिखा है जब कब्जा ही ट्रांसफर नहीं हुआ ऐसी स्थिति में रिको के नाम म्यूटेशन किया ही नहीं जा सकता है। म्यूटेशन के लिए कब्जा होना आवश्यक है। राजस्थान उच्च न्यायालय मे अवाप्ति की कार्यवाही को चैलेन्ज किया गया उसमें स्वयं अवाप्ति अधिकारी भी पक्षकार है तथा रिको भी पक्षकार है एवं राज्य सरकार भी पक्षकार है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार जो राज्य सरकार को रिप्रजेन्ट करता है उसके म्यूटेशन भरवाकर स्वीकृत करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलाण्ट को कथित आदेश का पता ही नहीं चला क्योंकि अपीलाण्ट द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त करने के बाद आज दिन तक विवादित भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग व उपभोग कर रहा है तथा उसे कभी भी किसी ने कुछ नहीं कहा। रेस्पोडेंट ने दिनांक 05.12.2019 को आकर कहा कि यह जमीन हमारे खाते की है आप खाली करो हम किसी अन्य को उद्योग के लिए आवंटित करेगें तो उसी दिन कथित म्यूटेशन का पता किया व उसी समय नकल लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल अपील में दिनांक 06.12.2019 को प्राप्त होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:16:24 IST
Reason: SelfAttested

के तीस दिन के अन्दर यह अपील पेश की जा रही है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा म्यूटेशन संख्या 1476 पर पारित आदेश दिनांक 18.07.2011 को निरस्त फरमाया जाकर कथित जमीन पुनः अपीलाण्ट के नाम खातेदारी हक से दर्ज करायी जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित, जिसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस शामिल पत्रावली की गई।

पत्रावली पर बहस प्रार्थी सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा अम्बेरी तहसील बडगांव में खाता संख्या 445 में स्थित आराजी संख्या 1319 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1321 मी. रकबा 0.2480 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1322 रकबा 0.0800 हैकटेयर, आराजी संख्या 1323 मी. रकबा 0.1200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1348 मी. रकबा 0.0250 हैक्टेयर कुल किता 5 रकबा 0.5530 हैक्टेयर भूमि स्थित है। यह भूमि कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एस.डी.ओ गिर्वा उदयपुर द्वारा अवार्ड संख्या 16 तहसील आदेश क्रमांक/राजस्व द्वारा अवाप्ति के आदेश की पालना में कथित भूमि को अपीलाण्ट के बजाय रिको के नाम खातेदारी रूप में दर्ज करने के संबंध में म्यूटेशन भरकर पेश किया गया जबकि कथित अवाप्ति के आदेश को अपीलाण्ट द्वारा सन् 2007 में चैलेन्ज किया गया उसके रिट नंबर 7243/2006 है तथा उस रिट में लैण्ड एक्वीजीशन ऑफिसर को भी पक्षकार बनाया गया तथा उसमें दिनांक 16.03.2007 को रिट संख्या 1044/2007 में स्थगन आदेश जारी किया गया तथा उसमें स्थगन आदेश दिया गया। जो स्थगन आदेश आज दिन तक जारी है। तथाकथित स्थगन आदेश होते हुए भी दौराने स्थगन आदेश म्यूटेशन भरकर कथित जमीन को अपीलाण्ट के बजाय रिको को खातेदार भरकर म्यूटेशन स्वीकृत करने का आदेश दिया यह आदेश बिना अधिकार के होकर वोइड है। स्थगन आदेश होने के बाद अपीलाण्ट ने अवाप्ति की कार्यवाही में कभी कोई भाग नहीं लिया क्योंकि अपीलाण्ट यह समझ रहा था कि राजस्थान उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश है। मौके पर वह अपनी जमीन का शान्तिपूर्वक उपयोग व उपभोग कर रहा है वह कथित जमीन को अपने ही खाते समझ रहा था। दिनांक 05.12.2019 को पहली बार रिको वाले के आदमियों ने आकर प्रार्थी को बताया कि यह जमीन तुम्हारें खाते हो चुकी है आप अब इसे खाली कर कब्जा हमें सिपुर्द कर देवे हम इस जमीन का आवंटन [illegible] करना चाहते हैं इस कारण उसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:16:24 IST
Reason: SelfAttested

दिन नकल लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल अपीलाण्ट को दिनांक 06.12.2019 को प्राप्त होने के तीस दिन के अन्दर यह अपील पेश की जा रही है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा म्यूटेशन संख्या 1476 पर पारित आदेश दिनांक 18.07.2011 को निरस्त फरमाया जाकर कथित जमीन पुनः अपीलाण्ट के नाम खातेदारी हक से दर्ज करायी जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण में उपस्थित अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन के उपरान्त न्यायालय का मत है कि तहसीलदार गिर्वा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1476 दिनांक 18.07.2011 को निर्णित किया गया उस दिन माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर का स्थगन प्रभावी था। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार गिर्वा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, जोधुपर के स्थगन आदेश दिनांक 16.03.2007 के अनुसार पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही कर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश की पालना सुनिश्चित करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर,
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:16:24 IST
Reason: SelfAttested